राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

15 भीम

क्रमांक :– प.07 (47) परि/नियम/मु/87/पार्ट–1/4453 जयपुर, दिनांक :– 01-03-2021

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषय :– ई–रवन्ना की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश।

राज्य में खनन पदार्थों एवं उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के परिवहन में ओवरलोड को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2020 से खान विभाग के 'ई–रवन्ना' सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिवहन विभाग को SSO पोर्टल, ई–मेल एवं मैसेज द्वारा ओवरलोड परिवहन करने वाले भारवाहनों की सूचना प्राप्त हो रही है। खनन सामग्री के ओवरलोड परिवहन करने वाले भार वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ही ब्लॉक किया जा रहा है तथा वाहन स्वामी द्वारा ई–रवन्ना चालान का निस्तारण चाहने पर नियमानुसार प्रशमन राशि प्राप्त कर निस्तारण किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा ई–रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर ओवरलोड के मामलों में रियायत देने हेतु एक अधिसूचना दिनांक 24.02.2021(छायाप्रति संलग्न) को जारी की गई है, जो 31.01.2021 को या उसे पूर्व कारित ई–रवन्ना से संबंधित अपराधों पर दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी होगी। इस अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम प्रशमन राशि सारणी के कॉलम 4 में वर्णित राशि से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशमन राशि की गणना सारणी–1 के अनुसार की जानी है।

उदाहरणार्थः– किसी वाहन के समस्त ई–रवन्ना चालानों को जोड़कर यदि 58,000,00 रूपये प्रशमन राशि देय हो तो अधिसूचना अंतर्गत प्रशमन राशि की गणना निम्नानुसार की जानी है :–

वाहन वार प्रशमन राशि का विवरण	गणना	देय प्रशमन राशि (रूपये में)
1 लाख तक	1,00,000 का 25 प्रतिशत	25,000 रूपये
1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	9,00,000 का 10 प्रतिशत	90,000 रूपये
10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	15,00,000 का 8 प्रतिशत	1,20,000 रूपये
25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	25,00,000 का 6 प्रतिशत	1,50,000 रूपये
50 लाख से अधिक और 58 लाख तक	8,00,000 का 4 प्रतिशत	32,000 रूपये
योग	–	**4,17,000 रूपये**

HP/Jyoti/Letter 2021

Scanned with CamScanner

इस योजना का समाचार पत्रों, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमो से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें जिससे ज्यादा से ज्यादा वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि –

1. जिला कार्यालयों में ऐसे प्रकरणों की वाहनवार सूची बनाकर वाहन स्वामियों से सम्पर्क कर योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करें, जिससे इस श्रेणी के प्रकरणों का पूर्णतया निस्तारण हो सकें।
2. खान विभाग से सम्पर्क कर 31.01.2021 तक के समस्त बकाया प्रकरणों की सूचना प्राप्त करें ताकि इस एमनेस्टी से कोई वाहन स्वामी सूचना के अभाव में वंचित न रह जावें।
3. कार्यालय में ऐसे प्रकरणों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्राथमिकता से नियमानुसार सही गणना करके प्रकरण का निस्तारण किया जावें। ऐसे निस्तारण की सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भिजवावे जिन्हे संकलित कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रपत्र संलग्न में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :– प.07 (47) परि/नियम/मु/87/पार्ट–1/4454 to 4457 जयपुर, दिनांक :– 01-03-2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. सिस्टम एनालिस्ट को विभाग की वेबसाईट पर अपडेटिंग हेतु।
3. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली

01.03.2021
अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र

ई–रवन्ना एमनेस्टी स्कीम

क्र.सं.	वाहन सं.	अधिसूचना 08.07.2020 के अनुसार देय प्रशमन राशि (लाखों में)	एमनेस्टी स्कीम के तहत् देय प्रशमन राशि (लाखों में)	दी गई छूट (लाखों में)	विशेष विवरण

Scanned with CamScann